



प्रेस नोट - दिनांक 30.07.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

मारपीट व फायरिंग के 05 आरोपियों को 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण मे लिया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मारपीट व फायरिंग के 05 आरोपियों को 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.07.2026 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के गदनखेडा मे बच्चों के विवाद मे दो पक्षो के मध्य मारपीट व फायरिंग की सूचना मिली थी। जिसके संदर्भ मे प्रथम पक्ष से वादी दिवाकर वर्मा पुत्र मैकूलाल नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव द्वारा मु0अ0सं0 472/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/109(1)/125 बीएनएस बनाम 01. शिवा सोनकर 02. सौरभ पुत्रगण मनोज 03. दिलीप 04. वीरेन्द्र पुत्र गण छोटे लाल 05. मनोज पुत्र अज्ञात निवासीगण गदनखेडा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 06. अन्य व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार साहू द्वारा की जा रही है तथा द्वितीय पक्ष से वादिनी मुकदमा श्रीमती परसूतन पत्नी छोटेलाल खटीक नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली उन्नाव द्वारा मु0अ0सं0 473/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी बनाम 01. शिवा 02. बलराम 03. रामू 04 वाशू पुत्रगण पट्टे उर्फ केशन कुमार लोधी 05. सुमित पुत्र ओमप्रकाश 06. संजय पुत्र कुंवारे गण गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव पंजीकृत किया गया घटना में संलिप्त प्रथम पक्ष से अभियुक्त 01. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष व द्वितीय पक्ष से 1. मैकू राजपूत उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 शंकर नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव 2. वासु राजपूत उम्र 19 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव 4. शिवा राजपूत पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 20 वर्ष नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव

5.राकेश राजपूत उर्फ रामू पुत्र श्री कृष्ण नि0 ग्राम गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष को आज दिनांक 30.07.2026 को गदनखेड़ा बाईपास से गिरफ्तार किया गया तथा दोनो पक्षों से तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण मे लिया गया। घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा अभियुक्त वीरेन्द्र सोनकर के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया व दूसरे पक्ष के अभियुक्त राकेश राजपूत के कब्जे से अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 32 वर्ष
- 02.मैकू राजपूत उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 शंकर नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- 03.वासु राजपूत उम्र 19 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- 04.शिवा राजपूत पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 20 वर्ष नि0 गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- 05.राकेश राजपूत उर्फ रामू पुत्र श्री कृष्ण नि0 ग्राम गदनखेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

तीन बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

बरामदगी:-

02 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली उन्नाव
उ0नि0 अनिल कुमार साहू थाना कोतवाली उन्नाव
उ0नि0 अंजनी सिंह थाना कोतवाली उन्नाव
का0 संत कुमार
का0 शेर सिंह
का0 महेश सिंह
रि0का0 सतीश